समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
आदेश

बिहार सिनेमा (विनियम) (संशोधन) नियमावली– 2011 के नियम– 14 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मेसर्स अम्बर चित्र मंदिर, बिहारीगंज को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति एवं प्रथम छः माही के लिए दिनांक– 15/08/2017 भवन का उपयोगिता प्रमाण पत्र की बैधता अवधि तक छवि प्रदर्शन करने हेतु अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि वे अग्नि का बचाव एवं छवि प्रदर्शन के लिए नियमावली में अंकित सभी शर्तो का अनुपालन करते हए पर्यावरण, वन, पान, गुट्का का मशाला पर प्रतिबंध से संबंधित स्लाईडों का निःशुल्क प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगें। साथ ही दर्शकों को बैठने के लिए कुर्सी, शौचालय, टिकट खिड़की महिलाएँ एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगे तथा छविगृह की मरम्तति एवं साफ– सफाई नियमित रूप से करते रहेंगे। उक्त वर्णित छविगृह से संबंधित जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

मौजा	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
बिहारीगंज	303	1425	0.09 डी0

(संचिका सं0– 41– 79/2016-17 के टिप्पणी पृष्ठ सं0– 08/टि0 पर जिला पदाधिकारी, महोदय से अनुमोदन प्राप्त)।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार।
ह0/-
जिला चलचित्र पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक–397 /सा0,मधेपुरा दिनांक–30 मार्च,2017

प्रतिलिपि– व्यवस्थापक, मेसर्स अम्बर चित्र मंदिर, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी,उदाकिशुनगंज अंचल अधिकारी, बिहारीगंज /थाना अध्यक्ष,बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सभी सम्बंधितों को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

30.03.17
जिला चलचित्र पदाधिकारी
मधेपुरा।